विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

विज्ञापन सं.: रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/क.नि.स./2019/813 दिनांक : 20/08/2019

कनिष्ठ निजी सहायक (अंग्रेजी) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा, 2019

1. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय स्टाफ सेवा नियम, 2002 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय हेतु कनिष्ठ निजी सहायक [Junior Personal Assistant (English)] के निम्न उल्लेखित रिक्त पदों हेतु नियमानुसार ₹ 23,700/–(**fixed**) प्रतिमाह पारिश्रमिक पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों (Probationer Trainee) की सीधी भर्ती हेतु निर्धारित ऑनलाईन प्रारूप (Online Format) में ऑनलाईन आवेदन (Online Application) आमंत्रित किए जाते हैं (परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या L-10 के अनुसार पे–स्केल रू. 33,800–1,06,700/– देय होगा)।

विशेष नोटः–

(1) Online Application भरने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान उच्च न्यायालय स्टाफ सेवा नियम, 2002 (यथा संशोधित), विस्तृत विज्ञापन, Online Application भरने के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों (Instructions) एवं Online Fee जमा कराने हेतु जारी दिशा–निर्देशों (Guide-lines) का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर ले, जो राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाईट http://www.hcraj.nic.in पर उपलब्ध है।

(2) आवेदक Online Application में समस्त वांछित एवं सुसंगत सूचनाएं अवश्य अंकित करे। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

2. रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण (Number of vacant Posts and Reservation):–

Category-wise Backlog vacancies (प्रवर्गवार बैकलॉग रिक्तियाँ) :-

SC	ST	TOTAL
16 (04 posts reserved for women, out of which 01 post reserved for widow)	11 (03 posts reserved for women, out of which 01 post reserved for widow)	27

Category-wise Current vacancies (प्रवर्गवार वर्तमान रिक्तियाँ) :-

UR(GEN)	SC	ST	OBC	MBC	EWS	TOTAL
17 (04 posts reserved for women, out of which 01 post reserved for widow)	06 (01 post reserved for women)	05 (01 post reserved for women)	08 (02 posts reserved for women)	02	04 (01 post reserved for women)	42

Grand Total (कुल योग) :

UR(GEN)	SC	ST	OBC	MBC	EWS	TOTAL
17	22	16	08	02	04	69

Note: Out of total 69 posts, 01 (One) post reserved for persons with benchmark disablities (Locomotor & Cerebral palsy) and 05 (five) posts reserved for Ex-servicemen.

नोट :–

1. उपरोक्त रिक्त पदों की संख्या में नियमानुसार कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, जिसके लिए पुनः विज्ञापन/शुद्धिपत्र जारी नहीं किया जायेगा।
2. महिलाओं (विधवा एवं विच्छिन्न–विवाह महिला सहित) हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण **प्रवर्गवार रिक्त पदों के विरूद्ध** क्षैतिज (Horizontal) रूप से होगा अर्थात् जिस प्रवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सामान्य वर्ग) की महिला आवेदक चयनित होगी, उसे सम्बन्धित प्रवर्ग, जिसकी वह आवेदक है, में समायोजित किया जायेगा।
3. दिव्यांगजन (Persons with Benchmark Disabilities) के आरक्षण के सन्दर्भ में:–
   (अ) दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद का आरक्षण **कुल रिक्त पदों के विरूद्ध** क्षैतिज (Horizontal) रूप से होगा अर्थात् जिस प्रवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सामान्य वर्ग/महिला) का दिव्यांग आवेदक चयनित होगा, उसे संबंधित प्रवर्ग (Category), जिसका वह आवेदक है, में समायोजित किया जायेगा।
   (ब) दिव्यांगजन की श्रेणी में आने वाले आवेदकों को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर अपनी निःशक्तता के संबंध में समुचित सरकार (Appropriate Government) द्वारा प्राधिकृत प्रमाणन प्राधिकारी (Authorized Certifying Authority) द्वारा विहित प्रारूप में जारी निःशक्तता प्रमाण–पत्र (Certificate of Disability) प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में प्रवृत्त सुसंगत नियमों के अनुसार निःशक्तता प्रमाण–पत्र धारक आवेदक ही दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों के विरूद्ध चयन एवं नियुक्ति के लिए पात्र माना जायेगा।
4. भूतपूर्व सैनिक (Ex-servicemen) के आरक्षण के सन्दर्भ में:–

20.8.19

(A) "An Ex-servicemen" means a person who has served in any rank whether as a combatant or non-combatant in the Regular Army, Navy and Air Force of the Indian Union and-

(i) who retired from such service after earning his/her pension ; or

(ii) who has been released from such service on medical grounds attributable to military service or circumstances beyond his control and awarded medical or other disability pension ; or

(iii) who has been released, otherwise than on his own request, from such service as a result of reduction of establishment ; or

(iv) who has been released from such service after completing the specific period of engagements, otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, and has been given a gratuity ;

and includes personnel of the Territorial army of the following categories, namely : -

(i) pension holders for continuous embodies service ;

(ii) Persons with disability attributable to military service ; and

(iii) Gallantry award winners ;

or

(v) Ex-recruits boarded out or released on medical grounds and granted medical/disability pension.

(B) भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण **कुल रिक्त पदों के विरूद्ध** क्षैतिज (Horizontal) रूप से होगा अर्थात् जिस प्रवर्ग का आवेदक चयनित होगा, उसे सम्बन्धित प्रवर्ग, जिसका वह आवेदक है, में समायोजित किया जायेगा।

5. भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम, 2002 (यथासंशोधित) में विहित प्रक्रिया एवं रीति से भरा जायेगा।

6. महिलाओं (विधवा एवं विच्छिन्न–विवाह महिला सहित), के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को राजस्थान उच्च न्यायालय स्टाफ सेवा नियम, 2002 (यथासंशोधित) में विहित प्रक्रिया एवं रीति से भरा जायेगा।

7. राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम, 2002 (यथासंशोधित) में विहित प्रक्रिया एवं रीति से भरा जायेगा।

8. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में आरक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में जारी किया गया आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र (Income & Assets Certificate) प्रस्तुत करना होगा।

9. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर नियमानुसार जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

10. अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर नियमानुसार जारी जाति एवं आय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति एवं आय प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

11. सामान्य वर्ग के पदों के विरूद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में पात्र होना आवश्यक होगा।

12. आरक्षण के समर्थन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी किया गया जाति प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

13. कोई भी आवेदक जिस श्रेणी (Category) के अन्तर्गत आवेदन करने का पात्र है, वह उस श्रेणी (Category) में ही आवेदन करे। **आवेदन पत्र में भरी गयी श्रेणी (Category) आवेदक की प्रार्थना पर किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं की जायेगी।**

<u>नोट</u> :–राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर (Creamy Layer) श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Sections) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

3. <u>न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (Minimum Academic Qualification)</u> :–

1. अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय जो कि सरकार द्वारा इस हेतु मान्यता प्राप्त हो, से स्नातक या समकक्ष डिग्री धारित करना अनिवार्य हैं; तथा (Candidate must be a graduate of any university established by Law in India or its equivalent examination from any university recognized by the Government for the purpose); and
2. अभ्यर्थी को कम्प्यूटर का आधारभूत ज्ञान होना चाहिए। (Must have basic knowledge of Computer)

4. <u>शारीरिक उपयुक्तता (Physical Fitness)</u>:–

आवेदक को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक एवं शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो। आवेदक के चयन होने की स्थिति में उसे नियुक्ति प्राधिकारी (Appointing Authority) द्वारा उस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. <u>राष्ट्रीयता (**Nationality**)</u> :–

A candidate for appointment to the service must be:

(a) a citizen of India, or

(b) a citizen of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan :

Provided that a candidate belonging to categories (b) & (c), shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been given by the Government of India.

6. <u>आयु (**Age**)</u> :–

20.8.19